# मोहर्रम जुलूस में नाबालिग की हत्या के मामले में 11 जने डिटेन

## मोहर्रम के जुलूस में शामिल नाबालिग की कुछ लोगों ने पीट-पीटकर हत्या कर दी थी

**चूरू, (निसं)।** मोहर्रम के जुलूस में 17 साल के नाबालिग की पीट-पीटकर हत्या के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 11 जनों को डिटेन किया है।

डीएसपी सुनील झाझड़िया ने बताया कि रविवार शाम मोहर्रम के जुलूस में शामिल नाबालिग की कुछ लोगों ने पीट-पीटकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद परिजनों ने अज्ञात के खिलाफ कोतवाली में हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया था। डीएसपी झाझड़िया ने बताया कि नाबालिग की हत्या के बाद दर्ज मामले में अज्ञात हत्यारों की तलाश के लिए पुलिस की टीमों ने शहर में रातभर दबीश देकर करीब 11 जनों को डिटेन किया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सोमवार को मृतक के पोस्टमार्टम के दौरान भी अस्पताल में एहतिहात के तौर पर तीन थानों की पुलिस और आर.ए.सी. की टुकड़ी तैनात की गई।

नाबालिग की मौत के बाद अस्पताल में भारी भीड़ जमा हो गयी।

- मृतक के पोस्टमार्टम के दौरान भी अस्पताल में एहतिहात के तौर पर तीन थानों की पुलिस और आर.ए.सी. की टुकड़ी तैनात रही
- जुलूस के दौरान मृतक और उसके साथ चल रहे युवकों का आपस में कंधा टकराया था और इसी को लेकर कहासुनी हुई थी

**जुलूस में हुई थी कहासुनी :-** डीएसपी सुनील झाझड़िया ने बताया कि पुलिस के प्रारंभिक अनुसंधान में सामने आया कि जुलूस के दौरान मृतक और उसके साथ चल रहे युवकों का आपस में कंधा टकराया था और उसी बात को लेकर हुई कहासुनी के बाद नाबालिग की साथ चल रहे युवकों ने पिटाई कर दी, पिटाई में गंभीर रूप से घायल नाबालिग को अस्पताल लाये जाने के बाद चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। डीएसपी सुनील झाझड़िया ने बताया कि वारदात के बाद से पुलिस ने वारदात स्थल के आस-पास के दर्जनों सीसीटीवी कैमरे खंगालकर 11जनों को डिटेन किया है।

**राठौड़ और मंडेलिया पहुंचे थे अस्पताल :-**नाबालिग की मौत के बाद अस्पताल में रविवार देर शाम अस्पताल में भारी भीड़ जमा हो गयी थी और अस्पताल में प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष रफीक मंडेलिया और पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने मृतक के परिवार को सांत्वना दी और पुलिस से त्वरित कार्रवाई की मांग की।

# बीट अधिकारी पर प्रार्थी के साथ कथित रूप से मारपीट का आरोप

**पाटन, (निसं)।** डाबला थाना क्षेत्र के ढाणी सुराली/रतननगर निवासी रविंद्र सिंह के साथ पुलिसकर्मी द्वारा अभद्रता एवं मारपीट करने का गंभीर मामला सामने आया है। रविंद्र सिंह ने बताया कि वह चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने के लिए डाबला थाने गया था, जहां मौजूद सिपाही पवन कुमार बल्डोदिया ने स्वयं को बीट अधिकारी बताकर उनके साथ गाली-गलौच एवं अभद्र व्यवहार किया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार 30 तारीख की रात लगभग नौ बजे, डाबला रेलवे स्टेशन पर कार्यरत राहुल माथुर ने शराब के नशे में सिपाही पवन कुमार बल्डोदिया से रविंद्र सिंह को फोन करवाकर स्टेशन बुलवाया। स्टेशन पर पहले से मौजूद पवन कुमार बल्डोदिया सिपाही, राहुल माथुर एवं तीन अन्य पुलिसकर्मियों ने रविंद्र सिंह को सरकारी गाड़ी में बैठाया और वहां सिपाही पवन ने रविंद्र सिंह के मुंह एवं कान पर गंभीर चोट पहुंचाई। इसके बाद रविंद्र सिंह को थाने ले जाकर कंप्यूटर कक्ष में बंद किया, जहां सिपाही पवन कुमार बल्डोदिया और थानाधिकारी राजवीर सिंह ने कथित रूप से दुर्व्यवहार करते हुए बुरी तरह मारपीट की। इस हमले में रविंद्र सिंह के कान का पर्दा फट गया और उनके मुंह व पैर पर गंभीर चोटें आईं। सूत्रों के अनुसार, पवन कुमार बल्डोदिया डाबला चौकी के समय से ही इस क्षेत्र में बीट अधिकारी के रूप में तैनात रहा है। चौकी के थाने में उन्नयन के बाद भी उसकी ड्यूटी यहीं पर बनी हुई है, जिससे वह थाने को अपनी व्यक्तिगत संपत्ति समझते हुए मनमाना व्यवहार करता है।

- पीड़ित का मारपीट से कान का पर्दा फटा, उच्च अधिकारियों से न्याय की गुहार की

प्रार्थी रविंद्र सिंह ने बताया कि उन्होंने इस पूरी घटना की जानकारी उच्च अधिकारियों को दे दी है और उनसे उचित कानूनी कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि पीड़ित को न्याय मिल सके और आमजन में पुलिस प्रशासन के प्रति विश्वास कायम रहे, साथ ही अपराधियों में डर का माहौल बने।

गौरतलब है इन दिनों डाबला थाना सुर्खियों में बना हुआ है कभी होटल में पैसा नहीं देने का वीडियो वायरल होता है तो कभी आमजन के साथ गलत व्यवहार की शिकायतें वायरल होती है।

इस बारे में डाबला थाना अधिकारी राजवीर सिंह से जानकारी चाहिए गई तो उन्होंने बताया कि रविंद्र सिंह के खिलाफ राहुल माथुर ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि रविंद्र सिंह मेरे को मारने की धमकी दे रहा है, बेवजह मुझसे झगड़ा कर रहा है। इस पर पवन कुमार को भेज कर इसको थाने लाया गया। अब यह बेवजह मनगढंत आरोप लगा रहा है।

# एनजीटी ने काटे गये पेड़ों के बदले पौधे लगाने के लिए जवाब मांगा

**भीलवाड़ा, (निसं)।** नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल सेन्ट्रल जोनल बैंच भोपाल के न्यायाधिपति शिवकुमार सिंह व एक्सपर्ट मेम्बर डॉ. ए. सेंथिल की बैंच ने भीलवाड़ा निवासी पर्यावरणविद् बाबूलाल जाजू की अधिवक्ता लोकेन्द्र सिंह कच्छावा के मार्फत दायर जनहित याचिका में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा काटे गये पेड़ों के बदले नियमानुसार 3 गुने, 5 गुने एवं 10 गुने पौधे नहीं लगाने एवं सुरक्षा व्यवस्था के अभाव में जीवित पौधों की अत्यधिक कम संख्या के मामले में चेयरमैन, नेशनल हाइवे ऑथोरिटी ऑफ इण्डिया नई दिल्ली, मुख्य सचिव राजस्थान सरकार, प्रधान मुख्य वन संरक्षक राजस्थान, क्षेत्रीय अधिकारी एनएचएआई जयपुर एवं राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जयपुर को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब मांगा है।

- 'नियमानुसार 8.5 लाख पौधे और लगाने की आवश्यकता है'

जाजू ने याचिका में बताया कि राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के दौरान एनएचएआई द्वारा वृक्षारोपण कार्य में नियमों की उपेक्षा की गई है, अनेक राजमार्गों पर काटे गये पेड़ों से भी कम संख्या में पौधे लगाये गये हैं, जिन प्रजातियों के पौधे काटे, उन स्थानीय प्रजातियों के पौधे नहीं लगाकर झाड़ियां लगा दी गई है तथा काटे गए पेड़ों के बदले लगाए जाने वाले पेड़ों की संख्या के संबंध में कोई समान नीति होने, रखरखाव व्यवस्था नहीं करने के कारण लगाये गये पौधों के जीवित रहने की दर बहुत कम है। वन मंत्रालय द्वारा मॉनिटरिंग मैकेनिज्म और ऑडिट हेतु फोरेस्ट डिपार्टमेंट को निर्देशित करने के बावजूद वन विभाग द्वारा मॉनिटरिंग सिस्टम विकसित नहीं किया गया है। प्रदेश में राजमार्ग बनाने के लिए बड़ी संख्या में काटे गये लाखों विशालकाय पेड़ों के बदले नियमानुसार पौधे लगाकर पल्लवित कर बड़े करने पर ध्यान नहीं दिये जाने से पौधे जीवित ही नहीं बचे हैं, जिससे प्रदूषण की समस्या गहरा रही है। राजमार्गों के दोनों ओर पौधे अधिक प्राणवायु और अधिक उम्र के पौधे लगाने के बजाय डिवाइडर में झाड़ियां रोपित कर पेड़ों की संख्या में उनकी गिनती करा दी गई है।

जाजू ने बताया कि काटे गये पेड़ों के बदले नियमानुसार पौधारोपण में अब 8.5 लाख से अधिक पौधे और लगाकर उन्हें बड़ा करने की आवश्यकता है। जाजू ने याचिका में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा 2015 में जारी मुख्य राजमार्गों, वृक्षारोपण, प्रत्यारोपण, सौंदर्यीकरण और रखरखाव नीति एवं पर्यावरण नीति दिशा निर्देश 2024 का उल्लेख करते हुए एनएचएआई द्वारा नीति का उल्लंघन किया जाना बताया है। उन्होंने कहा कि राजमार्ग परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण योजनाओं को तैयार करते समय अक्सर एवेन्यू प्लांटेशन और लैंडस्केप सुधार के लिए आवश्यक भूमि पर विचार नहीं किया जाता है, जिसके कारण राजमार्ग निर्माण के बाद वृक्षारोपण के लिए पर्याप्त जगह नहीं बचती है। जाजू ने बताया कि मामले में अगली सुनवाई 14 अगस्त को होगी।

# अजमेर एलिवेटेड रोड क्षतिग्रस्त मामला : कोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई की

**अजमेर, (कासं)।** प्रदेश में सक्रिय मानसून के बाद गत दिनों अजमेर में हुई मूसलाधार बरसात के बाद स्मार्ट सिटी योजना में 275 करोड़ की लागत से बने एलिवेटेड रोड (रामसेतू ब्रिज) की नसिया वाले मार्ग की भुजा की सड़क धंस जाने (क्षतिग्रस्त) होने का मामला कोर्ट पहुंच गया है। शहर के जागरुक नागरिकों द्वारा कोर्ट में जनहित याचिका प्रस्तुत की थी, जिसको कोर्ट ने स्वीकार करते हुए सोमवार को सुनवाई की। कोर्ट ने नगर निगम आयुक्त को नोटिस जारी कर कोर्ट में जवाब प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं।

- कोर्ट ने नगर निगम आयुक्त को नोटिस जारी कर कोर्ट में जवाब प्रस्तुत करने के आदेश दिए

अगली सुनवाई मंगलवार को होगी।

जागरुक नागरिकों की ओर से कोर्ट में जनहित याचिका प्रस्तुत करने वाले वकील विवेक पाराशर ने बताया कि अजमेर के रामसेतु ब्रिज में तकनीकी खामियों को लेकर सिविल न्यायाधीश पश्चिम के न्यायाधीश मनमोहन चंदेल की कोर्ट में जनहित याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। जज द्वारा याचिका की सुनवाई के बाद नगर निगम आयुक्त देशलदान को नोटिस जारी किया है। नोटिस का जवाब देने के लिए आदेश भी दिए हैं। मंगलवार को कोर्ट में मामले को लेकर अगली सुनवाई होगी। पाराशर ने बताया कि कोर्ट में इस मामले को लेकर प्रारंभिक तौर पर सुनवाई हुई। न्यायालय ने माना कि यह मामला अजमेर की जनता से जुड़ा हुआ है और यह गंभीर है, इसे लेकर तुरंत सुनवाई के आदेश दिए।

**3 जुलाई को धंसी ब्रिज पर सड़क :-**एडवोकेट पाराशर ने बताया कि कोर्ट में प्रतिवादी जितेश धनवानी और मुकेश पुरी की ओर से जनहित याचिका लगाई गई, जिसमें उन्होंने बताया कि 3 जुलाई को हुई तेज बरसात से ब्रिज की सड़क धंस गई थी। इस मामले में जागरूक नागरिक होने के नाते कोर्ट में याचिका पेश कर ब्रिज में खराब क्वालिटी की सामग्री और मापदंडों का प्रयोग के जिम्मेदार व्यक्तियों पर कार्रवाई की मांग की गई है।

## नवजात भ्रूण मिला

**शाहपुरा/भीलवाड़ा, (निसं)।** जिले के शाहपुरा कस्बे में एक बार फिर मानवता को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है। उम्मेद सागर रोड स्थित पानी की टंकी के सामने एक नवजात शिशु का भ्रूण मिलने से सनसनी फैल गई। यह भ्रूण लगभग 8 से 9 महीने का बताया जा रहा है, जिससे आशंका जताई जा रही है कि जन्म के तुरंत बाद उसे यहां फेंका गया होगा। घटना की जानकारी मिलते ही शाहपुरा पुलिस मौके पर पहुंची। सब इंस्पेक्टर पीतांबर, पुलिस चौकी इंचार्ज बदन सिंह तथा बनवारी कुमावत सहित अन्य पुलिसकर्मी घटनास्थल पर पहुंचे और जांच प्रारंभ की। पुलिस ने भ्रूण को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है तथा आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की जा रही है। शाहपुरा में इस प्रकार की दूसरी घटना है, जिससे आमजन मेंआक्रोश व चिंता का माहौल है।

## शिविर में भूमि विवाद का आपसी सहमति से निपटारा

**अरांई, (निसं)।** सांदोलिया ग्राम पंचायत मुख्यालय पर उपखंड अधिकारी आस्था शर्मा, तहसीलदार हरिराम के सानिध्य में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय सम्बल शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में वर्षों पुराने भूमि विवाद का आपसी सहमति से बंटवारा हुआ।

एसडीओ शर्मा ने बताया कि सांदोलिया के काश्तकारों खातेदार राजी देवी पत्नी श्योजी जाट व श्योजी जाट पुत्र रतना जाट ने पिछले 12 वर्षों से अटके बंटवारे के बारे में बताया, जिस पर एसडीओ ने बंटवारे का आवेदन करवा मौके पर ही तहसीलदार को निर्देश दिए। तहसीलदार हरिराम ने शिविर में ही कार्रवाई करते आपसी सहमति से बंटवारा का निपटारा करवाया। शिविर में राजस्व विभाग ने सीमा ज्ञान, नामान्तरण, आपसी सहमति से बंटवारा, पशुपालन विभाग ने टीकाकरण, पंचायतीराज विभाग ने स्वामित्व कार्ड/पट्टे, खाद्य विभाग ने आधार सीडिंग एवं ईकेवासी संबंधी कार्य मौके पर किये।

# लूट की वारदात का खुलासा, चालक सहित तीन गिरफ्तार

## व्यापारी का चालक ही निकला मास्टरमाइंट, एक अन्य आरोपी की पुलिस तलाश कर रही है

**नदबई, (निसं)।** नदबई-हलैना सड़क मार्ग पर बैलारा बायपास के समीप परचून व्यापारी के मुनीम को हथियार दिखाते हुए करीब साढ़े तीन लाख रुपए की लूट करने के मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए पीड़ित परचून व्यापारी के चालक सहित तीन जनों को गिरफ्तार किया। पुलिस सूत्रों की मानें तो पीड़ित परचून व्यापारी के चालक ने ही अपने साथी के साथ, मिलकर लूट की साजिश तैयार की। बाद में अपने मित्र सहित दो अन्य बदमाशों के साथ मिलकर पीड़ित व्यापारी के मुनीम के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया।

पुलिस के अनुसार न्योंठा निवासी जयनारायण शर्मा पुत्र रामध्वज शर्मा, बरौलीरान निवासी पवन राणा पुत्र बहादुर सिंह व वैर थाना क्षेत्र के गांव जीवत निवासी सौरभ सिंह पुत्र शेरसिंह को गिरफ्तार किया गया, जबकि, जीवत निवासी जयशिव पुत्र दौलत सिंह का पुलिस को सुराग नहीं लग सका। जानकारी के अनुसार 29 जून को पीड़ित व्यापारी का मुनीम शिवराम उर्फ शिब्बो, बिक्री हुए परचून सामान का पैसा एकत्रित कर हलैना से नदबई लौट रहा था। इसी दौरान गांव खांगरी बायपास के समीप मुनीम को हथियार दिखाते हुए लूट की बारदात को अंजाम दिया था। गुरुवार को व्यापारी सुरेशचंद ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। पुलिस ने जांच कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया।

- मुनीम को हथियार दिखाते हुए लूट की बारदात को अंजाम दिया था

सूत्रों की मानें तो गिरफ्तार आरोपी चालक, जयनारायण शर्मा करीब एक साल से पीड़ित व्यापारी सुरेशचंद की पिकअप गाड़ी को चला रहा था। इसी दौरान आरोपी चालक के मित्र पवन राणा ने आर्थिक स्थिति कमजोर होने के बारे में बताया। आर्थिक स्थिति कमजोर होने के चलते आरोपी चालक ने, प्रत्येक रविवार को उधारी का पैसा लेकर आने वाले मुनीम के बारे में बताया। बाद में चालक जयनारायण व पवन राणा ने जीवत निवासी सौरभ सिंह व जयसिंह के साथ मिलकर लूट की साजिश रची। मामले में जयनारायण, पवन व सौरभ सिंह को गिरफ्तार किया गया।

# सहदेव हत्या प्रकरण : अपहरण करने वाले दो आरोपी गिरफ्तार

**अजमेर, (कासं)।** नागौर के बहुचर्चित सहदेव हत्याकांड मामले में सिविल लाइंस थाना पुलिस ने मुख्य आरोपी महिपाल जाट व उसकी पत्नी ललिता को गिरफ्तार किया है। आरोपी अपहरण व हत्या की वारदात के बाद से फरार चल रहे थे। पुलिस ने दम्पती को नागौर से दबोचा। आरोपियों ने सहदेव का अपहरण व हत्या का षड़यंत्र रचा था।

- आरोपी अपहरण व हत्या की वारदात के बाद से फरार चल रहे थे, दम्पती को नागौर से दबोचा

सिविल लाइन थाना प्रभारी शम्भूसिंह शेखावत ने बताया कि नागौर के जायल निवासी सहदेव जाट का अपहरण व हत्या के मामले में सिविल लाइन थाना पुलिस ने फरार चल रहे मुख्य आरोपी नागौर के कुचेरा खेड़ा निवासी ललिता उर्फ लौकी उसके पति महिपाल जाट पुत्र जगदीश को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया कि महिपाल और उसकी पत्नी ललिता ने ही अपने साढ़ू व बहनोई सहदेव जाट को अजमेर रोडवेज बस स्टैंड से अगवाकर सबक सिखाने का षड़यंत्र रचा था। महिपाल ने ससुर व चाया ससुर की मदद से सहदेव को पुरानी आरपीएससी भवन के सामने से अगवा किया था। फिर हत्या कर शव को जायल तेजासर के निकट खेत में फेंक दिया था। गिरफ्तार आरोपियों को सोमवार को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया है।

पुलिस की पूछताछ में सामने आया कि ललिता नाराज थी कि सहदेव उसकी बहन करिश्मा को भगाकर ले गया। 13 जून को सहदेव परीक्षा देने के लिए अपने दोस्त के साथ अजमेर आया था। उसी दिन आरोपी ललिता भी परीक्षा देने अजमेर आई थी। ललिता के साथ उसका पति महिपाल भी था। दोनों ने रोडवेज बस स्टैंड पर सहदेव को बहला-फुसलाकर कैंपर गाड़ी में डालकर अपहरण के फरार हो गए। इसके बाद करिश्मा के पिता और अन्य लोगों ने युवक सहदेव की हत्या की थी, इसके बाद शव रातंगा गांव के खेत में फेंककर भाग गए थे।

सिविल लाइन थाना प्रभारी सिंह ने बताया कि मामले में अब तक कैंपर ड्राइवर नागौर निवासी कैलाश राम, करिश्मा के पहले पति का चाचा ससुर कुन्नाराम, करिश्मा की बड़ी बहन के पति राजू का रिश्तेदार ओमप्रकाश, करिश्मा का चाचा रामकिशोर तथा करिश्मा की बड़ी बहन ललिता और उसके जीजा महिपाल को गिरफ्तार किया है, जबकि मामले में पिता सहित तीन अन्य आरोपी अभी भी फरार है। करिश्मा नागौर के धारणा गांव की रहने वाली थी, महज 11-12 साल की थी, जब माता-पिता और परिवार वालों ने उसका बाल विवाह तय कर दिया था, उसने बाल विवाह स्वीकार नहीं किया था। इस बीच वह पास के ही तरनाऊ गांव में नर्सिंग की पढ़ाई करने कॉलेज गई थी। वहां कॉलेज में पढ़ाने वाले टीचर सहदेव भाकर से प्यार हो गया था। तब सहदेव के साथ जीवन बिताने की कसमें खाईं थी। उसके बाद सहदेव भाकर के घर रातंगा गांव में ही दोनों रहने लगे थे। करिश्मा के परिवार ने सहदेव को जान से मारने की धमकी दी थी। गौरतलब है कि सहदेव की हत्या के बाद करिश्मा ने भी फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी।

# ग्राम पंचायत स्यालोदड़ा में अंत्योदय शिविर में ग्रामीणों ने समस्याएं उठाई

**पाटन, (निसं)।** ग्राम पंचायत स्यालोदड़ा में सोमवार को पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के अंतर्गत एक दिवसीय जनसमस्या समाधान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं रखीं। कैंप में मुख्य रूप से नीमकाथाना एसडीएम राजवीर यादव, पाटन तहसीलदार सुभाष चंद्र, नायब तहसीलदार भोम सिंह मीणा, पाटन प्रधान सुवालाल सैनी, सरपंच अनिल कुमार शर्मा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। अधिकारियों ने मौके पर ही कई समस्याओं का समाधान कर ग्रामीणों को राहत प्रदान की। ग्रामीणों ने जोहड़ में पानी की आवक की समस्या, गांव की भूमि पर क्रशर मालिक द्वारा किए गए अवैध कब्जे और सार्वजनिक रास्ते पर अतिक्रमण जैसे गंभीर मुद्दों को उठाया। इन समस्याओं को प्राथमिकता से सुनते हुए अधिकारियों ने आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया।

- अधिकारियों ने मौके पर ही कई समस्याओं का समाधान कर ग्रामीणों को राहत प्रदान की
- लोक देवता बाबा झुझार सेवा समिति ने बाबा झुझार मंदिर भूमि को मंदिर के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने हेतु ज्ञापन सौंपा

शिविर में ग्रामीणों ने प्रशासनिक अधिकारियों को समस्याओं को लेकर ज्ञापन दिया।

इस अवसर पर लोक देवता बाबा झुझार सेवा समिति द्वारा बाबा झुझार मंदिर भूमि को मंदिर के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने हेतु ज्ञापन सौंपा गया। ग्रामीणों ने बताया कि बाबा झुझार सैकड़ों वर्ष पूर्व गायों की रक्षा करते हुए युद्धभूमि में वीरगति को प्राप्त हुए थे और उनका नाम राजस्थान के गौरवशाली इतिहास में दर्ज है। आज भी वे गांव में लोकदेवता के रूप में पूजे जाते हैं, किंतु मंदिर की भूमि अब तक राजस्व अभिलेखों में शामिल नहीं हो पाई है। शिविर में आए ग्रामीणों ने इस पहल की सराहना की और प्रशासन से उम्मीद जताई कि उनकी वर्षों पुरानी समस्याओं का अब स्थायी समाधान होगा।

# रील्स बनाने के चक्कर में युवक 150 फीट ऊंचाई से गिरा, मौत

## चंबल नदी के तट के नजदीक बने मिनी गोवा में नहाने के लिए गए दो युवक भी बह गए, दोनों की मौत हो गई

**कोटा, (निसं)।** लोगों में सोशल मीडिया पर रील्स बनाने का खुमार ऐसा है कि इसके चक्कर में वो हादसे का शिकार हो रहे हैं। ऐसा ही एक मामला आरकेपुरम थाना क्षेत्र के गेपरनाथ महादेव पर भी सामने आया है। यहां पर जिले के कैथून से अपने दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने पहुंचे एक युवक की 150 फीट ऊंचाई से गिरने से मौत हो गई है। वह दोस्तों के साथ रील्स बना रहा था और फोटोशूट कर रहा था। दूसरी तरफ कोटा से मध्य प्रदेश के भानपुरा के कंवला गांव में चंबल नदी के तट के नजदीक बने मिनी गोवा में नहाने के लिए गए दो युवक भी बह गए, जिनकी रविवार को भी काफी तलाश की गई। सोमवार सुबह भी उनकी तलाशी के लिए अभियान चलाया। सोमवार को चले तलाशी अभियान के दौरान दोनों मृतकों के शव बरामद हुए।

आरकेपुरम थाने के सहायक उप निरीक्षक रईस मोहम्मद ने बताया कि कैथून निवासी (19) अर्जुन अपने 7 से 8 दोस्तों के साथ गेपरनाथ महादेव पर गया था। घटना की सूचना पुलिस को कंट्रोल रूम से मिली थी जिसमें बताया गया कि एक लड़के का पैर स्लिप हो गया और वह नीचे चट्टान पर जा गिरा। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। उसके साथ गए लड़कों में से एक ने ही पुलिस को सूचना की थी। मौके पर पहुंचे थाना अधिकारी महेंद्र मारू ने बताया कि युवक जहां से नीचे गिरा था वहां पहले पुलिस नीचे गई तो 150 फीट नीचे चट्टान पर उसका शव पड़ा हुआ था। उसके शव को मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। युवक पढ़ाई के साथ-साथ मेडिकल शॉप पर भी जॉब करता था।

मृतक अर्जुन कहार के ताऊ का कहना है कि उसकी पहले से कुछ लड़कों से दुश्मनी थी। वह पहले भी धोखे से उसके साथ मारपीट कर चुके थे। उन्होंने पूरे प्रकरण की जांच की मांग पुलिस से की है। उनका कहना है कि अर्जुन को कुछ लोग धक्का भी दे सकते हैं। उसके साथ कैथून और रानपुर के लोग थे। यह कौन थे इनकी जांच होनी चाहिए।

**दो दोस्त पानी में बहे:-** कोटा के बालाकुंड शिवपुरा निवासी युवकों का एक समूह पिकनिक मनाने के लिए मिनी गोवा गया था। इनमें से दो युवक चेतन महावर और सोनू यादव बह गए। बीते कई घंटे से उनकी तलाश के लिए चंबल नदी में अभियान चलाया जिसके बाद दोनों के शव मिल गये। भाजपा नेता दीनू बंजारा ने बताया कि उनके इलाके के पांच अन्य युवक भी इसमें थे जिनमें बंटी, लोकेश, अजय, उमेश और दीपू शामिल हैं। चेतन और सोनू के ऊपर बैठकर गहरे पानी की तरफ चले गए थे। इस दौरान ट्यूब पलट गई और दोनों डूब गए। यह घटना रविवार दोपहर को हुई थी, जिसके बाद वहां पर तलाशी शुरू की गई। दोनों के परिजन भी मौके पर पहुंच गए। चेतन का शव झाड़ियों में फंसा मिला जबकि सोनू का शव सोमवार सुबह मिला है। चेतन पढ़ाई करने के बाद जॉब की तलाश में था। सोनू यादव इलेक्ट्रीशियन का काम करता था।

## तेवड़ी की घाटी के जंगलों में अधेड़ का शव मिला

**पावटा, (निसं)।** विराटनगर थाना क्षेत्र के तेवड़ी गांव में घाटी के जंगलों में सोमवार शाम को एक अधेड़ का संदिग्ध अवस्था में शव मिला, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। थाना क्षेत्र के तेवड़ी गांव में घाटी के जंगलों में शाम पाचं बजे स्थानीय लोगों ने शव देखा और खबर आग की तरह फैल गई व देखते ही देखते मौके पर भीड़ जुटना शुरू हो गई। ग्रामीणों द्वारा विराटनगर थाना पुलिस को सूचना दी गई। सूचना पर वृत्ताधिकारी विराटनगर शिप्रा राजावत, विराटनगर थाना प्रभारी सोहन लाल मौके पर पहुंचे और जांच की। मृतक की पहचान प्रहलाद (55) पुत्र मूलचंद निवासी गुढ़ा चुरानी थाना के रूप में हुई। पुलिस ने मृतक के परिजनों को सूचना दे दी है।